सीएसआईआर-केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
पिलानी (राजस्थान) 333031

सं. : 35/1/2020-राभा दिनांक : 26 मई, 2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय : संस्थान में राजभाषा कार्यान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने हेतु प्रशासनिक एवं अन्य अनुभागों को शत-प्रतिशत कार्यालयी कार्य हिंदी में करने के लिए विनिर्दिष्ट करना।

भारत सरकार की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप संस्थान में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को और अधिक प्रभावी एवं व्यापक बनाया जाना आवश्यक है। इस प्रयोजन से संस्थान के निम्नलिखित प्रशासनिक एवं अन्य अनुभागों/प्रभागों को एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे अपने कार्यालयी कार्यों का शत-प्रतिशत निष्पादन हिंदी में करें :

1. स्थापना 1
2. स्थापना 2
3. स्थापना 3
4. केंद्रीय भंडार
5. क्रय
6. वित्त एवं लेखा
7. इंजीनियरी सेवाएं
8. भवन निर्माण एवं अनुरक्षण (सिविल)
9. सुरक्षा
10. बागबानी
11. ज्ञान संसाधन केंद्र (केआरसी)
12. आरटीआई

उपर्युक्त सभी अनुभागाध्यक्ष तथा उनके अधीनस्थ सहकर्मी अपने अनुभाग/प्रभाग का शतप्रतिशत कार्य, जिसमें टिप्पणियाँ, मसौदे, पत्राचार, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचनाएँ, प्रतिवेदन, कार्यवृत्त, विवरणियाँ, अभिलेखों की प्रविष्टियाँ आदि सम्मिलित हैं, हिंदी में करवाना सुनिश्चित कर संस्थान में राजभाषा की अभिवृद्धि में अपना सहयोग प्रदान करें। कृपया ध्यान दें कि संस्थान में संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन प्रत्येक कार्मिक का व्यक्तिगत दायित्व है।

यह ज्ञापन निदेशक, सीएसआईआर-सीरी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

मधुरंजन 26.05.2026
(मधुरंजन पाण्डेय)
प्रशासन नियंत्रक

प्रतिलिपि (सूचना एवं अनुपालन हेतु) :

1. निदेशक कार्यालय
2. प्रशासन नियंत्रक/ व. वित्त एवं लेखा नियंत्रक
3. सभी अनुभागाध्यक्षों को अनुपालनार्थ।
4. प्रभारी, एआईटीजी - संस्थान की वेबसाइट/ई-ऑफिस पर अपलोड करने हेतु।
5. कार्यालय प्रति। 6. सूचना पट्ट